न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 21/2014

अपीलांट

श्रीमति सीतादेवी धर्म पत्नी कानारामजी आयु वर्ष जाति कुम्हार पेशा खेती निवासी बरलुट तहसील सिरोही जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. रणछोड पुत्र श्री गोपालरामजी आयु 48 वर्ष, जाति रावल पेशा व्यापार व खेती निवासी महादेव गली अरठवाडा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्री देववंशी मालवीय लोहार सेवा शिक्षण संस्थान, सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
3. श्री कैलाश कुमार पुत्र श्री पुखराज जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
4. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री नथमल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क, निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही। ।
5. श्री ललित कुमार पुत्र श्री नथमल जी जैन जाति आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
6. श्री नितेश कुमार पुत्र श्री जयन्तीलाल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
7. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री जयन्तीलाल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
8. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री जयन्तीलाल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
9. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री अमृतलाल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क, निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
10. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अमृतलाल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
11. श्री मती उषा पत्नी श्री अमृतलाल जी जैन आयु व्यस्क, निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही।

उपस्थित :-

1. श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

अपील संख्या : 72/2018

अपीलांट

श्री देववंशी मालवीय लौहार सेवा शिक्षण संस्थान सिरोही, तहसील सिरोही व जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. रणछोड पुत्र श्री गोपालरामजी आयु 48 वर्ष, जाति रावल पेशा व्यापार व खेती निवासी महादेव गली अरठवाडा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्रीमती सीतादेवी पत्नी कानारामजी जाति कुम्हार आयु व्यस्क पेशा खेती निवासी बरलुट तहसील व जिला सिरोही।
3. श्री कैलाश कुमार पुत्र श्री पुखराज जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
4. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री नथमल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क, निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही। ।
5. श्री ललित कुमार पुत्र श्री नथमल जी जैन जाति आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
6. श्री नितेश कुमार पुत्र श्री जयन्तीलाल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
7. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री जयन्तीलाल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
8. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री जयन्तीलाल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
9. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री अमृतलाल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क, निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
10. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अमृतलाल जी जैन जाति जैन आयु व्यस्क निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
11. श्रीमती उषा पत्नी श्री अमृतलाल जी जैन आयु व्यस्क, निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री प्रकाश प्रजापत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

3. श्री महेन्द्र कुमार चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 06.05.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 238/2012 बउनवान रणछोड बनाम सीतादेवी वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2013 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2013 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 11 के विरूद्ध धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा सिरोही, पटवार हल्का सिरोही–1 भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिरोही के खसरा नंबर 503 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 531 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 532 रकबा 1.2900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533 रकबा 1.2900 हैक्टेयर का बंटवाडा कराने का निवदेन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को जारी नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा न तो अपीलांट को धामे एवं न ही अपीलांट के घर के बाहर चस्पा किये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के नोटिस को विधिवत तामिल नहीं हुए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का नोटिस तामिल मानकर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का सिरोही द्वारा मौके पर जाकर नजरी नक्शा और बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया, किन्तु इस संबध में अपीलांट व अन्य पक्षकारो को कोई नोटिस नहीं दिया गया। पटवारी सिरोही ने बंटवाडा प्रस्ताव और नजरी नक्शा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्रभाव में आकर उनसे मेल मिलाप कर मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा बनाया गया है। जिस पर अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 02 से 11 के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री उक्त बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर, बिना अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 11 को सुनवाई का अवसर दिये पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली पुन रिमांड की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 11 के विरूद्ध धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा सिरोही, पटवार हल्का सिरोही–1 भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिरोही के खसरा नंबर 503 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 531 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 532 रकबा 1.2900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533 रकबा 1.2900 हैक्टेयर का बंटवाडा कराने का निवदेन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 11 के विरूद्ध धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा सिरोही, पटवार हल्का सिरोही–1 भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिरोही के खसरा नंबर 503 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 531 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 532 रकबा 1.2900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533 रकबा 1.2900 हैक्टेयर का बंटवाडा कराने का निवदेन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 11 को विधिवत तामिल कराये बिना एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसकी पालना में पटवारी सिरोही ने बंटवाडा प्रस्ताव और नजरी नक्शा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी सिरोही द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव और नजरी नक्शा पर अपीलांट एवं रेस्पोडन्ट संख्या 02 से 11 के हस्ताक्षर नहीं है। जहां तक विधिक प्रक्रिया का पालना का प्रश्न है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार सिरोही द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। न्यायालय के आदेशानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो भूमि का निरीक्षण किया गया तथा न ही नक्शा तैयार किया गया, मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव को अग्रेसित कर दिया, जिस पर पक्षकारान के कोई हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है। इस संबध में आर.आर.टी 2019(1) पन्नालाल बनाम ननकिशोर व अन्य मे यह प्रतिपादित किया है कि " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा–53 व 188– आराजी नं 1228/950/125 में 1 बीघा भूमि का खातेदार घोषित करने हेतु वाद पेश किया–वाद डिक्री किया–प्रथम अपील खारिज की–दक्षिण की तरफ एक बीघा का वादी खातेदार घोषित किया गया– तहसीलदार की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया–तहसीलदार मौके पर नहीं गया–निर्णीत निर्णय अपास्त किये तथा पुन निर्णीत करने हेतु प्रकरण एस.डी.ओ. को प्रतिप्रेषित किया।" इसी प्रकार 2017 (1) आर.आर.टी पेज 689 कैलाश व अन्य बनाम रमेश व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि "राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड) नियम, 1955 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 53–विभाजन हेतु डिक्री–रेफरेंस भूमि के विभाजन के लिये प्रस्ताव का तहसीलदार द्वारा तैयार करना क्या आज्ञापक है अथवा वह शक्ति डेलीगेट कर सकता है–निर्णीत, नियम 18 से 21 आज्ञापक प्रकृति के है ओर तहसीलदार स्वंय की मौका निरीक्षण करना तथा प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है।" उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एंव राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के विपरित एवं अधिकारिता विहीन हल्का पटवारी की मनमानी बंटवाडा रिर्पोट के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किये बगैर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 21/2014 एवं 72/2018 आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या राजस्व वाद संख्या 238/2012 बउनवान रणछोड बनाम सीतादेवी वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2013 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.2013 अपास्त किया जाकर इन निर्देशो के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एंव राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना कर पुनः नये सिरे से 6 माह विधिसम्मत निर्णय पारित करे। हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन किसी प्रकार से प्रभावी नही होगा। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। मूल निर्णय की प्रति संबधित प्रकरण संख्या 72/2018 के साथ संलग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली कैम्प-सिरोही